

राजस्थान सरकार
निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ20(101/401)आयो/आकाशि/833/933


दिनांक : 8-1-2013

आदेश

जनसहभागिता योजनान्तर्गत महाविद्यालय खोलने हेतु जारी स्वीकृति के अनुरूप चयन समिति द्वारा संशोधित एम0ओ0यू0 मांगा गया, संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत संशोधित एम0ओ0यू0 में चयन समिति द्वारा निम्नलिखित कमियाँ दर्शायी गई हैं, अतः आवेदक संस्था को यह निर्देशित किया जाता है कि संशोधित एम0ओ0यू0 में दर्शायी गई कमियों को दुरस्त कर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें:-


क्र0सं0	जिला	तहसील का नाम	आवेदक संस्था	कमियाँ जो पाई गई
1	2	3	4	5
1	भीलवाडा	कोटडी	राजा हमीर एजुकेशन एण्ड मेडिकल हेल्थ वेलफेयर सोसायटी, चर्च के सामने बाल मन्दिर कालोनी, बजरिया सवाई माधोपुर	बिन्दु संख्या 4 में शब्दों में फेरबदल है । बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी । बिन्दु संख्या 15 शब्दों में हेरफेर है ।
2	सवाई माधोपुर	मलारना झूंगर	श्री प्रहलाद गुप्ता स्मृति वेलफेयर सोसायटी, 87 बालमन्दिर कालोनी सवाई माधोपुर	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी । बिन्दु संख्या 24 मूल स्वीकृति में इसका कोई उल्लेख नहीं है
3	बीकानेर	छतरगढ	जगदम्बा विकास एवं शैक्षणिक संस्थान, खाजूवाला बीकानेर	बिन्दु संख्या 1 मूल स्वीकृति के अनुरूप नहीं बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी । बिन्दु संख्या 15 की शर्त मूल स्वीकृति के अनुसार नहीं है । बिन्दु संख्या 22 मूल स्वीकृति के अनुरूप नहीं । बिन्दु संख्या 23 का कोई उल्लेख नहीं है ।
4	बाडमेर	बायतू	राज जन विकास संस्था, शाकम्भरी रोड, उदयपुर वाटी झुंझूनु	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी । बिन्दु संख्या 24 का मूल स्वीकृति में कोई उल्लेख नहीं ।
5	बाडमेर	रामसर	श्री गुरुनानक खालसा शिक्षा समिति सेक्टर 12 हनुमानगढ जं0	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी । बिन्दु संख्या 15 की शर्त मूल स्वीकृति के अनुसार नहीं है । बिन्दु संख्या 23 मूल स्वीकृति के अनुरूप नहीं ।
6	जोधपुर	शेरगढ	ग्रामीण विकास एवं शोध संस्थान, पेराडाईज कालोनी, नीमदा गेट	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी ।

			भरतपुर	बिन्दु संख्या 15 की शर्त मूल स्वीकृति के अनुसार नहीं है। बिन्दु संख्या 23 मूल स्वीकृति के अनुरूप नहीं है।
7	पाली	रायपुर	राजस्थान बाल कल्याण समिति, झाडोल उदयपुर	बिन्दु संख्या 1 मूल स्वीकृति के अनुरूप नहीं है। बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी। बिन्दु संख्या 15 की मूल स्वीकृति के अनुसार नहीं है। बिन्दु संख्या 23 मूल स्वीकृति के अनुरूप नहीं है।
8	बारां	किशनगंज	श्री महर्षि दधिची शिक्षा समिति, 785 ज्योति मंदिर के पास, दादाबाडी कोटा	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी। बिन्दु संख्या 15 की मूल स्वीकृति के अनुसार नहीं है। बिन्दु संख्या 23 मूल स्वीकृति के अनुसार नहीं है। इसमें फीस का उल्लेख मूल स्वीकृति में नहीं है। अतः मूल स्वीकृति के अनुसार ही करें।
9	झालावाड	मनोहर थाना	जवाहरलाल नेहरू शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान, 81 कमला नेहरू नगर, हसनपुरा सी जयपुर	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी। बिन्दु संख्या 24 का मूल स्वीकृति में कोई उल्लेख नहीं है।
10	चित्तौडगढ़	गंगारार	दी प्रोफेशनल एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओ 16 मालवीय मार्ग, सी स्कीम जयपुर	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी। बिन्दु संख्या 24 मूल स्वीकृति में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
11	प्रतापगढ़	अरनोद	दीक्षा क्रियेशन सोसायटी, 46 जयश्री कालोनी, धूल कोट के पास उदयपुर	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी। बिन्दु संख्या 15 की मूल स्वीकृति के अनुसार नहीं है।
12	सिरोही	रेवदर	विजन सोसायटी 30 द्वितीय तल, बापू बाजार उदयपुर	बिन्दु संख्या 9 में 15 वर्ष के पश्चात् भवन लीज अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार को भी आदेश इस संबंध में देगी संस्था उसका यथावत पालन करेगी। बिन्दु संख्या 14 में करवाया जावेगा के स्थान पर किया जावेगा। बिन्दु संख्या 15 की मूल स्वीकृति के अनुसार नहीं है।


(नबिन जैन)
निदेशक

क्रमांक:एफ20(101/401)आयो/आकाशि/833/933-944
प्रतिलिपि उपरोक्त संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक : 8-1-2013


संयुक्त निदेशक, आयोजना
कालेज शिक्षा